केन्द्र सरकार के विभागों/कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग व मार्गदर्शन के लिए समितियां गठित हैं।

1. केन्द्रीय हिंदी समिति: शीर्षतम समिति है ।

अध्यक्ष - माननीय प्रधानमंत्री जी

सदस्य - गृह मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री तथा 6 अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक तथा हिंदी के विद्वान, समाजसेवी पत्रकार ।

उद्देश्य- हिंदी के विकास और प्रसार के विषय पर, सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोगार्थ तथा उपरोक्त उद्देश्यों हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वयार्थ गठित शीर्षस्थ समिति । इसका आयोजक गृह मंत्रालय है।

2. संसदीय राजभाषा समिति - (समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन गठित)

अध्यक्ष - माननीय गृह मंत्री

उपाध्यक्ष - माननीय गृहमंत्री द्वारा एक उपाध्यक्ष नामित किया जाता है ।

सदस्य - 30 सदस्य (20 लोकसभा से, 10 राज्य सभा से)

उद्देश्य- संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करके उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

- कार्य संचालन के लिए समिति को तीन उपसमितियों में विभाजित किया गया है जिसके लिए तीन संयोजक अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति भी गठित है जो संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारक उपसमिति है। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा उपरोक्त तीनों उपसमितियों के संयोजक इस समिति के सदस्य होते हैं । इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष तीनों उपसमितियों में से एक-एक सदस्य को आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति में सदस्य नामित करते हैं ।

- इन समितियों द्वारा निरीक्षणों व संवाद के आधार पर आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा

राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है । प्रतिवेदन में समिति द्वारा विभिन्न सिफारिशें की जाती हैं ।

- समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत रिपोर्ट की अधिप्रमाणित प्रतियां संसद के पटल पर रखी जाती हैं। इन संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों से मंत्रणा व परामर्श के अधार पर तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश प्राप्त किए जाते हैं ।

- समिति द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के 9 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

3. मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां

अध्यक्ष - संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री महोदय

सदस्य - संबंधित मंत्री द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य, संसदीय समिति द्वारा नामित सदस्य तथा मंत्रालय/विभाग के अधिकारी तथा गृहमंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव।

उद्देश्य: केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना व परामर्श देना।

- वर्ष में कम से कम 2 बैठकों एवं यथासंभव अधिक बैठकों के आयोजन का लक्ष्य।

- 54 मंत्रालयों/विभागों में गठित।

- वैधता की अवधि तीन वर्ष। समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है।

- राजभाषा विभाग समन्वयक की भूमिका निभाता है।

4. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष - सचिव, राजभाषा विभाग।

सदस्य - विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्चतर स्तर के अधिकारी।

उद्देश्य - मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति (संवैधानिक व कानूनी प्रावधान, राष्ट्रपति जी के आदेश, वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों आदि) के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को देर करने के उपाय सुझाना। हिंदी के प्रभावी प्रयोगार्थ सफल पहलनात्मक कदमों व अभिनव प्रयोगों की जानकारी का आदान-प्रदान करना।

5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

अध्यक्ष - नगर में स्थित सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी।

सदस्य - नगर में स्थित केन्द्र सरकार के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख।

उद्देश्य - नगरों में स्थित केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा व समन्वय सहित राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना। कुछ नगरों में उपक्रमों, बैंकों और अन्य केंद्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग समितियां गठित।

6. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

अध्यक्ष – संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सदस्य - समस्त विभाग एवं संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं राजभाषा विभाग का प्रतिनिधि।

उद्देश्य - तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाना

*****